क्रम संख्या–147

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 04 अक्टूबर, 2011 ई0

आश्विन 12, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 307 / XXXVI(3) / 2011 / 55(1) / 2011

देहरादून, 04 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना

विविध

" भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011"** पर दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 20 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2011)

उत्तराखण्ड राज्य की जनता को समयबद्ध रीति से सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक मामलों के लिए ,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 है।

(2) यह उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि प्रसंग या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:–

(क) "**आयोग**" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "**पदाभिहित अधिकारी**" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "**पात्र व्यक्ति**" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा को प्राप्त करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "**उपलब्ध समय सीमा**" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा को उपलब्ध कराने के लिए दिया गया अधिकतम समय अभिप्रेत है;

(च) "**विहित**" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) "**सेवा का अधिकार**" से उपलब्ध समय सीमा के भीतर सेवा को प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;

(ज) "**सेवा**" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "**द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी**" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) "**धारा**" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ट) "**राज्य सरकार**" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और उपलब्ध समय सीमा के लिए अधिसूचना

3. (1) राज्य सरकार, जिस पर यह अधिनियम लागू होगा, अधिसूचना द्वारा समय–समय पर सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा उपलब्ध कराई गई समय सीमा विहित कर सकेगी।

सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना

4. पदाभिहित अधिकारी उपलब्ध कराई गई समय–सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध करायेगा।

सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रकिया

5. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई पात्र व्यक्ति पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दिए गए समय–सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन पत्र को खारिज करेगा तथा आवेदन पत्र को खारिज करने की दशा में कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा और उससे आवेदक को सूचित करेगा।

(3) प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी आवेदित सेवा के अभिलेख का विस्तृत विवरण ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाय, अनुरक्षित करेगा।

प्रथम अपील

6. (1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सेवा को प्राप्त करने के लिए खारिज कर दी गई हो या जो दिए गए समयावधि के भीतर सेवा को उपलब्ध नहीं कराता है, के लिए ऐसे खारिज करने की तारीख के तीस दिन के भीतर अथवा उपलब्ध कराई गई समय–सीमा की समाप्ति पर, जैसी स्थिति हो, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील योजित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और यदि उसकी राय में पात्र व्यक्ति के हित उचित प्रतीत होते हैं तो वह पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा और किसी त्रुटि के मामले में उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा उसके कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दे सकेगा।

(3) पात्र व्यक्ति और पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराए जाने के पश्चात्, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या तो अपील को स्वीकार करने के लिए कोई आदेश पारित करेगा या लिखित रूप में उसके खारिज करने के आदेश पारित करेगा तथा खारिज करने की दशा में खारिज करने के कारणों को ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करेगा एवं पात्र व्यक्ति को उसे संसूचित करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उसकी प्राप्ति के तीस दिन के अवधि के भीतर यथासम्भव प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित की जायेगी।

द्वितीय अपील

7. (1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसकी अपील सेवा प्राप्त करने के लिए खारिज कर दी गई हो या धारा 6 के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विहित समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराने की दशा में ऐसे आदेश के खारिज होने की तारीख से तीस दिन के भीतर या प्रथम अपीलीय प्रधिकारी द्वारा विहित समय की समाप्ति पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील योजित की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और यदि उसकी राय में पात्र व्यक्ति के हित उचित प्रतीत होते हैं तो वह पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा और किसी त्रुटि के मामले में उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा उसके कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दे सकेगा:

परन्तु यह कि अपील को खारिज करने से पूर्व पात्र व्यक्ति को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश को पात्र व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि उपधारा (1) के अधीन की गई अपील द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर यथाशीघ्र निर्णित की जायेगी।

समन और निरीक्षण करने की शक्ति

8. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी में इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किसी अपील को निर्णित करते समय निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) के अधीन सिविल न्यायालयों के समरूप शक्तियाँ निहित होंगी; अर्थात् :–

(क) अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण और उनके निरीक्षण की अपेक्षा;

(ख) पदाभिहित अधिकारी और आवेदक को सुनवाई के लिए समन जारी करने; और

(ग) अन्य कोई मामले, जैसे विहित किए जायं।

शास्तियां

9. (1) **(क)** जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की राय में पर्याप्त और समुचित कारणों के बिना उपलब्ध कराए जाने वाली सेवा के असफल होने पर ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया से सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी पर वह एकमुश्त शास्ति, जो कि ₹ 500.00 से कम तथा ₹ 5000.00 से अधिक नहीं होगी, अधिरोपित कर सकेगा।

(ख) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की राय में पर्याप्त और समुचित कारणों के बिना उपलब्ध कराए जाने वाली सेवा के असफल होने पर ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रकिया से सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा को उपलब्ध कराए जाने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो ऐसे पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी पर वह एकमुश्त शास्ति ₹ 250.00 प्रतिदिन की दर से ऐसे विलम्ब के लिए किए गए दिनों हेतु अधिरोपित कर सकेगा, जो कि ₹ 5000.00 से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह कि ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रकिया में सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी उपखण्ड (क) और (ख) के अधीन उसे/उन्हें अधिरोपित किसी दण्ड के लिए दण्ड देने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर देगा।

(2) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी आदेश द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की धनराशि में से आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी धनराशि को दिए जाने का आदेश दे सकेगा, जैसा कि उसके द्वारा विहित किया जाय, जो कि इस प्रकार अधिरोपित की गई शास्ति की कुल धनराशि से अधिक नहीं होगी।

(3) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रकिया में सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी इस अधिनियम के अधीन बिना पर्याप्त और समुचित कारणों के उन्हें सौपे गए कृत्यों का निर्वहन करने में असफल हो गया है तो उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन त्रुटि के लिए उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए संस्तुत कर सकेगा।

पुनरीक्षण

10. कोई व्यक्ति, जो कि द्वितीय अपील प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर धारा 12 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन इस सम्बन्ध में नाम–निर्दिष्ट अधिकारी या आयोग को उक्त आदेश का पुनरीक्षण करने के लिए आवेदन दे सकता है, जिसे विहित रीति से निस्तारित किया जायेगा:

परन्तु यह कि आयोग या नाम–निर्दिष्ट अधिकारी, जैसी स्थिति हो, यदि समुचित कारणों से निर्धारित समय के भीतर आवेदन न कर सकने के लिए यदि वह सन्तुष्ट हो तो; वह उक्त साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है।

सेवाओं को दर्शाया जाना और दिए गए समय की अवधि

11. जनता की सूचना के लिए सम्बन्धित विभाग के सचिव द्वारा स्थानीय और वेबसाइट पर सेवाओं और दिए गए समय की अवधि को दर्शाया जाएगा।

आयोग का गठन

12. (1) यदि राज्य सरकार की राय में, ऐसा करना आवश्यक और समीचीन हो तो वह अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक आयोग का गठन कर सकेगी, जिसे उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग ज्ञात नाम से जाना जायेगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा जब तक आयोग का गठन नहीं कर लिया जाता है तब तक वह अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के श्रेणी से अन्यून, किसी अधिकारी को नामित कर सकेगी, जो कि इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगा, ।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसे उपर्युक्त नाम से जाना जायेगा और जिसे शारस्वत् अधिकार प्राप्त होंगे तथा इस अधिनियम के प्राविधानों के अध्यधीन स्थावर और जंगम दोनों सम्पत्तियों तथा संविदा करने, अपेक्षा करने, धारण करने और निस्तारित करने की शक्ति सहित एक सामान्य मुद्रा होगी और उसके नाम से वाद लाया जा सकेगा तथा वाद ला सकेगा।

(3) आयोग का प्रधान कार्यालय देहरादून अथवा ऐसे स्थान पर होगा, जैसा कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

आयोग की संरचना

13. (1) आयोग मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों से संरचित होगा और उनकी नियुक्तियाँ उत्तराखण्ड विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता की सहमति से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(2) मुख्य आयुक्त उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सचिव अथवा भारत सरकार के सचिव स्तर के किसी अधिकारी की श्रेणी का कोई सेवानिवृत्त अधिकारी होगा।

(3) आयुक्त उत्तराखण्ड राज्य के सेवारत् अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी, जो कि सचिव के स्तर और श्रेणी तथा इसके समकक्ष श्रेणी और स्तर में राज्य की किसी सेवा में उत्तराखण्ड राज्य संवर्ग से अखिल भारतीय सेवाओं और/अथवा लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ, जिसके पास लोक प्रशासन में दर्शन शास्त्र में शोध कार्य करने और किसी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन कार्य करने का अनुभव अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी अन्य मामले में प्रतिष्ठित हो, से नियुक्त किया जा सकेगा।

मुख्य आयुक्त की शक्तियाँ

14. (1) मुख्य आयुक्त को आयोग के कार्यों के व्यवहरण में सामान्य पर्यवेक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ होंगी। मुख्य आयुक्त धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसरण में उसमें निहित आयोग के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग के साथ–साथ बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) मुख्य आयुक्त की अनुपस्थिति में अथवा मुख्य आयुक्त की रिक्ति की दशा में राज्य सरकार किसी एक आयुक्त को रिक्ति की अवधि में अथवा उसकी अनुपस्थिति में मुख्य आयुक्त में निहित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नामित कर सकेगी।

(3) नामित आयुक्त उपधारा (2) के अधीन मुख्य आयुक्त के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने पर आयुक्त के रूप में मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, भत्ते अथवा अतिरिक्त सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।

मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की सेवा की कार्यावधि और सेवा–शर्तें

15. (1) मुख्य आयुक्त और आयुक्त का कार्यकाल सम्बन्धित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर बने रहेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसके मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाय, पूर्व से ही किसी अन्य पद पर कार्य कर रहा हो तो उसे उस पद से त्याग–पत्र देना होगा अथवा आयोग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उस पद से सेवानिवृत्ति प्राप्त करनी होगी।

(3) मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के समक्ष, जिसे वह नियुक्त करे, सत्यनिष्ठा की शपथ लेनी होगी।

(4) मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त किसी भी समय लिखित रूप में हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से राज्यपाल को सम्बोधित कर अपने पद से त्याग–पत्र दे सकेंगे। वह धारा 16 के अधीन उपबन्धित रीति में पद से हटाए जाने के लिए दायी भी होगा।

(5) मुख्य आयुक्त और आयुक्त की सेवा की शर्तें और निबन्धन तथा संदेय वेतन और भत्ते क्रमशः राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा (5) में अधिकथित व्यवस्था के समरूप होगी। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त और आयुक्तों पर उपर्युक्त उपधारा के सभी उपबन्ध यथावत् लागू होंगे।

(6) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन आयोग की उपयुक्त दक्षता के लिए, जैसा आवश्यक हो, ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें, ऐसी होंगी, जैसी विहित की जांय।

मुख्य आयुक्त या आयुक्त को कतिपय परिस्थितियों में उनके पदों से निलम्बित किया जाना और हटाया जाना

16. (1) राज्य सरकार, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुपालन के पश्चात् मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त को हटा सकेगी, जो उसकी राय में –

(एक) वह दिवालिया घोषित हो गया हो; अथवा

(दो) किसी अपराध में अभियुक्त हो, जो कि राज्य सरकार की राय में नैतिक अपराध से सम्बन्धित हो; अथवा

(तीन) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अयोग्य हो गया हो; अथवा

(चार) ऐसे वित्तीय अथवा अन्य हित की अपेक्षा करता हो, जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त किसी हैसियत में उसके कृत्य को सद्भावपूर्वक सम्पादित करने में कठिनाई हो; अथवा

(पाँच) सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरूपयोग करता है, जिसके कारण उसका पद पर बना रहना, लोकहित में हानिकारक है।

(2) उपधारा (1) में किसी अन्य बात के होते हुए भी मुख्य आयुक्त अथवा कोई आयुक्त तब तक उसके पद से नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि –

(एक) राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जाँच हेतु मुख्य आयुक्त और आयुक्त को उसके पद से हटाए जाने के लिए ऐसे प्रस्ताव के साथ आवश्यक पत्रजात, जो कि उसके हटाए जाने के आधार हों, सहित कोई सन्दर्भ नहीं किया जाता है;

(दो) ऐसे सन्दर्भ पर उत्तराखण्ड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त कोई कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा किसी अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा सम्यक रूप से जाँच नहीं कर ली जाती है;

(तीन) जाँच समिति यह संस्तुत न कर दे कि मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त को ऐसे आधार अथवा आधारों पर उसके पद से हटाया जाय।

(3) राज्य सरकार, सम्बन्धित मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्तों को उपधारा (2) के अधीन मुख्य न्यायाधीश को किए गए सन्दर्भ के पश्चात् निलम्बित कर सकेगी।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की शक्तियाँ और कृत्य

17. (1) इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन तथा सेवा को और अधिक उपयुक्त रूप से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देना, आयोग का दायित्व होगा। इस प्रयोजन के लिए आयोग :–

(क) धारा 10 के अधीन पुनरीक्षण को दाखिल और निस्तारित कर सकेगी;

(ख) इस अधिनियम के अनुसरण में सेवा को उपलब्ध कराने में असफल होने पर स्वतः संज्ञान ले सकेगी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, जैसा समुचित समझा जाय, ऐसे मामलों को निस्तारण के लिए सन्दर्भित कर सकेगा;

(ग) सेवाओं को उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यालयों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी और कर्मचारी को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन में असफल होने पर राज्य सरकार को उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए संस्तुत कर सकेगा;

(ङ) सेवाओं की उपलब्धता के लिए प्रकियाओं में संशोधन के लिए, जिससे सेवाओं की उपलब्धता को अधिक पारदर्शी और सरल किया जा सके, की संस्तुति कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी संस्तुति करने से पूर्व आयोग विभाग के प्रशासनिक प्रभारी सचिव से परामर्श करेगा, जो सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दायी है;

(च) धारा 3 के अधीन अधिसूचित किए जाने वाली अतिरिक्त अधिसूचनाओं की संस्तुति तथा इस अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं में उपान्तरण के लिए सुझाव दे सकेगा।

(2) जहाँ आयोग का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबन्धों के मामलों में जाँच करने के समुचित आधार उपलब्ध हैं, वहाँ वह उस सम्बन्ध में कोई जाँच स्वतः प्रारम्भ कर सकेगा।

(3) आयोग, जब इस धारा के अधीन किसी मामले की जाँच कर रहा हो तो उसे निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के परीक्षण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित होंगी :–

(क) व्यक्तियों को समन और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, शपथ–पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने तथा अभिलेखों अथवा वस्तुओं को प्रस्तुत करने की शक्ति;

(ख) अभिलेखों के निरीक्षण और खोज की अपेक्षा करने की शक्ति;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से, उससे सम्बन्धित कोई लोक अभिलेख या प्रतियों की माँग करने की शक्ति;

(ङ) गवाहों अथवा दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करने की शक्ति; और

(च) कोई अन्य मामले, जिसे विहित किया जाय, की शक्ति।

(4) आयोग अपने व्यवहरण के संचालन के लिए तथा किसी ऐसे मामलों के लिए, जैसा आयोग उचित समझे, विनियम बना सकेगा।

आयोग की संस्तुतियों पर सरकार की कार्यवाही

18. (1) राज्य सरकार, धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ङ) और (च) के अधीन आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार करेगा और आयोग को तीस दिन के भीतर अथवा ऐसे अधिक समय पर, जैसा आयोग के साथ परामर्श कर अभिनिश्चित किया जाय, की गई कार्यवाही से आयोग को सूचना भेजेगा। यदि सरकार यह अभिनिश्चित करे कि आयोग की किसी संस्तुति पर अनुपालन नहीं किया जाना है तो आयोग की संस्तुतियों पर कार्यवाही न किए जाने के लिए कारणों को संसूचित करेगा।

(2) आयोग, धारा 17 के अधीन उसके द्वारा की गई संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई और कार्रवाई न करने के कारणों सहित, यदि कोई हो, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। राज्य सरकार, इस रिपोर्ट की प्रतियाँ उत्तराखण्ड विधान सभा के पटल पर रखेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

19. इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी के विरूद्ध न होगी।

नियम बनाने की शक्ति

20. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगे; अर्थात्–

(क) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन सेवाओं को अभिलिखित करने के लिए अनुरक्षित रखने हेतु प्ररूप ;

(ख) धारा 10 के अधीन आवेदन–पत्र के निस्तारण के लिए प्रकिया;

(ग) धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और वेतन, भत्ते; तथा

(घ) कोई अन्य मामले, जो अपेक्षित हों या जिन्हें विहित किया जाना आवश्यक हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ही बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाय, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाय कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति

21. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के परामर्श से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,
डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।